# –: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :–

पीठासीन अधिकारी :– देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 138/2022

उनवान

सांवरलाल पुत्र भंवरलाल जाति अहीर निवासी पुलिस थाने के पीछे जिलावडा रोड, खेडा चौराहा, ग्राम श्रीनगर, नसीराबाद

—— प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री नौरतमल जैन

**बनाम**

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
2. सचिव, अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर

—— अप्रार्थीगण :– 1 जरियें राज. पैरोकार,
2 जरियें अधिवक्ता श्री संदीप अग्रवाल

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

–: आदेश :– दिनांक :– 25/6/25

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम श्रीनगर के वंकिंग खसरा नम्बर 4876 मिन के वर्तमान खसरा नम्बर 5202 रकबा 4.71 में से 0.56 है0 की भूमि पर प्रार्थी का पुश्तैनी समय से भौतिक कब्जा चला आ रहा है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेख अनुसार सम्वत् 2048, 2049, 2050, 2052, 2053, 2054 से प्रार्थी का कब्जा प्रमाणित होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जो कि अजमेर जिले में 15.061958 को लागु हुआ था, की धारा 15 के अनुसार भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि पर कब्जा होने के कारण धारा 15 के अनुसार खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है। वादग्रस्त सम्पदा राजस्व अभिलेख में सिवायचक होने के कारण अप्रार्थी प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने मूल वाद में जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी का कब्जा लगातार नही होने के कारण वाद खारिज योग्य है। अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि आराजी मुतनाजा प्राधिकरण को हस्तांतरित भूमि है। धारा 80 सी.पी.सी. की पालना नही की गयी है। अप्रार्थी के विरूद्ध कोई वाद कारण उत्पन्न नही होता है। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के आदेश के विरूद्ध कोई अपील [illegible] पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी ने जवाबुल जवाब पे[illegible] मुतनाजा पर प्रार्थी को कब्जा आज दिनोंक तक चला आ[illegible] को धारा 74 अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम[illegible]।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज[illegible]रोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

—2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:23:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

**प्रथम दृष्टया मामला :–**

ग्राम श्रीनगर के वंर्किंग खसरा नम्बर 4876 मिन के वर्तमान खसरा नम्बर 5202 रकबा 4.71 में से 0.56 है0 की भूमि पूर्व राजस्व अभिलेख में सिवायचक थी। उक्त आराजी श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, अजमेर के आदेश की पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज की गयी। आराजी मुतनाजा कभी भी प्रार्थी/पूर्वज के नाम खातेदारी पूर्व राजस्व अभिलेख में दर्ज नही है। प्रार्थी द्वारा मूल वाद में कब्जे के आधार पर खातेदारी का अनुतोष चाहा है, जबकि सिवासचक आराजी पर कब्जे के आधार पर खातेदारी प्रदान नही की जा सकती है। अप्रार्थी संख्या 2 आराजी मुतनाजा का रिकाडेर्ड खातेदार है। जिसे बिना किसी ठोस आधार के पाबंद किया जाना न्यायोचित नही है। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेधाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज है। प्रार्थी/पूर्वज के नाम पूर्व राजस्व अभिलेख में खातेदारी होने को कोई प्रमाण नही है।

ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व नही है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व नही होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

**आदेश** :– श्रीनगर के वंर्किंग खसरा नम्बर 4876 मिन के वर्तमान खसरा नम्बर 5202 रकबा 4.71 में से 0.56 है0 की भूमि पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:23:28 IST
Reason: SelfAttested